अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध होगी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र एवं अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को देवरी स्थित सर्किट हाउस में अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरैना, आगरा एवं धौलपुर जिलों के प्रशासनिक, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रणनीति तैयार की।

इस अवसर पर आयुक्त चम्बल संभाग सुरेश कुमार, डीआईजी सुनील जैन, सीसीएफ ग्वालियर लवित भारती, कलेक्टर मुरैना लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बी.टी., कलेक्टर प्रतिनिधि एवं अपर कलेक्टर आगरा संदीप कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीणा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान, डीएफओ मुरैना हरिश्चन्द्र बघेल, डीएफओ धौलपुर दीपक कुमार मीणा, डीसीएफ टेरेस्टीयल धौलपुर वी चेतन कुमार सहित मुरैना खनिज अधिकारी एसके निर्मल, धौलपुर एवं आगरा के खनिज अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुरैना में आयोजित अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में संयुक्त कार्ययोजना तैयार

बैठक में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों, चेकपोस्टों की स्थिति, संयुक्त कार्रवाई की वर्तमान व्यवस्था तथा अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने राज्य सीमाओं पर समन्वित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने, खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने तथा सूचना आदान-प्रदान की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

चम्बल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार ने सभी जिलों को अपने-अपने घाटों, चेकपोस्टों, तैनात अमले, निगरानी संसाधनों एवं नदी किनारे स्थित ग्रामों का अद्यतन विवरण साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिले घाटों की मैपिंग, संवेदनशील स्थलों की सूची, चेकपोस्टों की स्थिति, नदी तटीय ग्रामों तथा तैनात अमले की जानकारी नियमित रूप से साझा करें, जिससे संयुक्त कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय एवं सतर्कता के साथ कार्य करना होगा तथा संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दलों को निरंतर अलर्ट मोड पर रखा जाए।

उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जैन ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनाना आवश्यक है। इसके तहत प्रथम स्तर पर घाटों एवं खनन स्थलों पर निगरानी एवं कार्रवाई, द्वितीय स्तर पर परिवहन मार्गों एवं वाहनों की सघन जांच तथा तृतीय स्तर पर उन गंतव्य स्थलों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जहां अवैध रूप से उत्खनित रेत का भंडारण अथवा उपयोग किया जाता है। उन्होंने एम-सैंड जैसे वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा देने तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिना पंजीयन वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा अंतरराज्यीय स्तर पर डाटा साझाकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

बैठक में सर्विलांस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए घाटों, पुलों एवं संवेदनशील मार्गों पर सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे स्थापित करने, राज्यों के बीच रियल टाइम डाटा शेयरिंग व्यवस्था विकसित करने तथा संयुक्त नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी। चेकिंग प्वाइंट्स पर डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा बिना पंजीयन वाले वाहनों एवं उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नाइट विजन कैमरे, वाई-फाई आधारित निगरानी प्रणाली, पीए सिस्टम एवं अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। घाटों, चेकपोस्टों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग कर निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। बैठक में बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने, सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस प्रणाली एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने, सीमा क्षेत्रों में संयुक्त गश्त बढ़ाने, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा आपराधिक रिकॉर्ड एवं जब्त वाहनों का डाटा साझा करने पर सहमति बनी।

अवैध खनन की रोकथाम के लिए समन्वय आवश्यक

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित जिलों एवं राज्यों के बीच सतत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम तथा सर्विलांस सिस्टम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि संदिग्ध वाहनों पर अंतरराज्यीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी एसओपी तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने तथा सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता बताई।

राज्यों एवं जिलों के बीच साझा की जानी चाहिए कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीणा ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी राज्यों एवं जिलों के बीच साझा की जानी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त गश्त, सीसीटीवी निगरानी, जब्त एवं अपंजीकृत वाहनों का डाटा साझा करने तथा स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में नेस्टिंग साइटों एवं संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए फेंसिंग, कैमरा नेटवर्क एवं नाइट विजन उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

दुकान में तोड़फोड़ व मारपीट के आरोपियों को 6-6 माह का कठोर कारावास

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 23 जून। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2018 को फरियादी अनिल राजौरिया ने थाना जौरा पर इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी दुकान ऑनलाईन कम्प्यूटर सेंटर तिकोनिया पार्क पर है जिस पर वह एवं उसके चाचा महेश राजौरिया दोनों बैठे थे।

घटना दिनांक 04.12.2018 को दोपहर 03:00 बजे का समय होगा तभी अभियुक्तगण करण परसोटा, विशाल, रंजीत रावत उसकी दुकान पर आए और उसने अपनी फेसबुक आई.डी. पर अपना फोटो पोस्ट किया जिस पर करण ने मां की गाली देकर कमंट किया, इस पर उससे मुंहबाद हो गया तभी करण रावत ने फोन करके अपने साथियों को बुलाया जिसमें कल्ली शर्मा, कादर खां, आकाश राठौर थे और जब तक ये लोग आए तब तक करण, विशाल व रंजीत ने उसकी दुकान में पत्थर मारकर तोड़फोड़ की तथा मारपीट करना चालू कर दिया।

करण, विशाल व रंजीत ने पत्थर मारे जो उसके चाचा के सीने व हाथ में लगे और जब उसने चाचा को बचाना चाहा तो इन लोगों ने उसे भी हॉकी व पत्थर मार और पांच हजार रूपये देने पर दुकान चलने देने का कहने लगे, तब तक आकाश, कादर व कल्ली आ गए और कादर खां ने उसके चाचा को बेट मारा जिससे चोट लगकर खून निकल आया तथा आकाश व कल्ली ने हॉकी से उसे व उसके चाचा को मारा एवं सामान की तोड़फोड़ की व दुकान के शीशे, पिंटर तोड़ दिये तब तक आवाज सुनकर रूस्तम वं नरेन्द्र एवं आसपड़ोस के दुकानदार आ गए जिन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गए।

उक्त आशय की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र जौरा में अपराध क्रमांक 658 / 2018, अंतर्गत धारा 452,336, 323, 294, 427, 327,34 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई एवं जेएमएफसी श्री मनमोहन सिंह कौरव ने सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लखन लाल आर्य जौरा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को स्वीकार करते हुये -

4. आरोपीगण विशाल रावत, रंजीत रावत नि.पोस्ट ऑफिस रोड पुराना जौरा थाना जौरा को धारा 427,323 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 06-06 माह का कठोर कारावास व 2000 रूपये का जुर्माना से दण्डित किया गया।

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ . गुप्ता भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बने

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। भारतीय जनता पार्टी मुरैना के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. योगेश पाल गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति में सम्मिलित किए जाने पर अनेक लोगों ने बधाई दी है।

यह सम्मान उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव, निष्ठा, समर्पण एवं पार्टी के प्रति निरंतर किए गए कार्यों का परिणाम है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी हृदय से आभार माना है।

राज्यमंत्री डॉ . गौतम टेटवाल आज मुरैना प्रवास पर रहेंगे

मुरैना, 23 जून। मप्र शासन के कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. गौतम टेटवाल 24 जून 2026 को एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यमंत्री डॉ. टेटवाल 24 जून को प्रातः 9 बजे गिरिराज जी के दर्शन एवं पूजा-अर्चना करेंगे। इसके उपरांत वे दोपहर 1:30 बजे मुरैना जिले के जतीपुरा पहुंचेंगे। राज्यमंत्री अपराह्न 4 बजे सर्किट हाउस, मुरैना आगमन करेंगे तथा अपराह्न 4:30 बजे शनि मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।

जनसुनवाई में 10 आवेदकों की समस्याएं सुनीं गईं

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। चंबल भवन, मुरैना में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में चंबल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार के निर्देशन में उपायुक्त (राजस्व) अशोक सिंह चौहान ने 10 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि विवाद, पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरण, स्वच्छता व्यवस्था, नालियों के अवरुद्ध होने, जलभराव की समस्या तथा अन्य आधारभूत जनसुविधाओं से जुड़े विषय शामिल रहे। उपायुक्त (राजस्व) अशोक सिंह चौहान ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाता है। उन्होंने आवेदकों को आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे ट्रेक्टर-ट्रॉली जप्त

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भापुसे) द्वारा जिले में रेत एवं पत्थर के अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं एसडीओपी जौरा नितिन बघेल के मार्गदर्शन में थाना बागचीनी पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गिट्टी से भरी हुई 02 ट्रेक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 14 लाख की जब्त की गई। दिनांक 23.06.2026 को थाना बागचीनी पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बागचीनी चौखट्टा पर चैकिंग लगाकर 02 व्यक्तियों को ट्रेक्टर-ट्रॉली के साथ पकड़कर ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को चैक किया गया तो उनमें गिट्टी भरी होना पाई गई, जिसके संबंध में दोनो वाहन चालकों से वैध दस्तावेज चाहने पर न होना बताया गया ।तदोपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से उक्त 02 ट्रेक्टर / ट्रॉली कीमती करीबन 14 लाख को जब्त किया गया। बाद थाना वापसी पर आरोपियों के विरूद्ध पृथक-पृथक अप.क्र. 124 / 2026 एवं 125 / 26 धारा 303 (2), 317 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वन अमले ने पकड़ी अवैध खैर की लकड़ी

मुरैना/जौरा, 23 जून। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लकड़ी माफिया तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के दिए गए निर्देशों के पालन में जौरा क्षेत्र के रेंजर रामजीलाल भारती, मुरैना क्षेत्र की रेंजर श्वेता त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध रूप से संग्रहित खैर की लकड़ी जप्त की गई है। रेंजर श्री भारती को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि चंद्रपुर गांव में अवैध रूप से संग्रहित कर खैर की लकड़ी रखी हुई है, जिस पर से श्री भारती ने विनोद उपाध्याय, रवि शर्मा, सुरेंद्र दोहरे, प्रभाकर शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, अनिल चौबे, दीपक शर्मा, रविंद्र धाकड़, सुनील त्यागी, संतोष कुशवाहा आदि वन कर्मचारी की टीम लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि चंद्रपुर स्थित बंद पड़े शासकीय विद्यालय प्रांगण में बड़ी मात्रा में खैर की संदिग्ध लकड़ी पड़ी थी।

5 लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज

मुरैना/जौरा, 23 जून। जौरा थाना अंतर्गत सुसाइड नोट के परीक्षण उपरांत स्थानीय पुलिस द्वारा पांच लोगों के विरुद्ध प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। जौरा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ जयप्रकाश शर्मा मर्ग क्रमांक 85/25 धारा 194 बीएनएस की केस डायरी थाना प्रभारी द्वारा दी गई। जांच घटनास्थल नक्शा मौका आदि के आधार पर मेरे द्वारा जांच की गई। मृतक पुष्पेंद्र किरार पुत्र बनवारी किरार उम्र 35 साल निवासी उरहेरा के शव का पोस्टमार्टम जौरा अस्पताल में कराया गया। पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्य एवं रस्सी को जप्त किया गया एवं मृतक की पत्नी रेखा किरार द्वारा 18 दिसंबर 2025 को मृतक पुष्पेंद्र के द्वारा हस्तलिखित सुसाइड नोट प्रस्तुत किया। सुसाइड नोट में भूकंप रमेश शाह के बबलू मिश्रा बिलु गोयल कमल और बृजेश के द्वारा 11 लाख रुपए का उल्लेख करते हुए अपने जीवन लीला समाप्त करना लेख किया। सुसाइड नोट का परीक्षण एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त किया जाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल से जांच कराई गई। परीक्षण धनात्मक पाए गए एवं मृतक पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी श्रीमती रेखा किरार, भाई रविंद्र किरार से पूछताछ कर कथन लिए गए तो मृतक के परिजनों द्वारा अपने कथनों में भूकंप शाक्य रमेश शाक्य बबलू मिश्रा बिलु गोयल बृजेश के द्वारा पुष्पेंद्र के 20 लख रुपए न देने एवं मांगने पर उक्त पांच लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर मृतक पुष्पेंद्र किरार द्वारा अपने घर की बैठक में कुंड पर फांसी लगाकर आत्महत्या करना लेख कराया गया। मर्ग सदर की जांच दौरान प्राप्त साक्ष्य मृतक की पीएम रिपोर्ट घटनास्थल निरीक्षण परिजनों की कथन एवं मृतक का सुसाइड नोट सुसाइड नोट का परीक्षण रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर उक्त पांच लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टि अपराध धारा 108 बीएनएस का घटित करना पाया जाने के बाद अनुमति अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया जाता है।

महिला ने खाया जहर, डायल-112 ने अस्पताल पहुंचाया

मुरैना, 23 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में आमजन की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु डायल - 112 सेवा लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। थाना माताबसैया क्षेत्र के अंतर्गत जीगनी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने जहरीला तरल पदार्थ का सेवन कर लिया है, पुलिस सहायता की आवश्यकता है, उक्त सूचना दिनाँक 22.06.2026 समय 01:15 बजे राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल - 112 भोपाल से प्राप्त हुई।

सूचना की प्राप्ति पर माताबसैया थाना क्षेत्र में तैनात एफआरव्ही वाहन तत्काल को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल - 112 स्टाफ आरक्षक सचिन राजावत एवं पायलेट सूरज सिंह ने तत्काल मौके पर पहुँचकर पाया की महिला जहरीला पदार्थ पीने से स्वास्थ्य खराब हो गया है। डायल - 112 जवानों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला को एफआरव्ही वाहन में बिठाया और तुरंत शासकीय अस्पताल माताबसैया में भर्ती कराया, जहाँ महिला का उपचार किया जा रहा है।

स्थानांतरण नीति से हटाई जाए अव्यावहारिक शर्ते : डॉ . सिकरवार

मुरैना, 23 जून। शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में लगाई गई अव्यावहारिक एवं कठोर शर्तों पर आपत्ति जताते हुए मप्र शिक्षक संघ के निवर्तमान संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कर्मचारी नेता डॉ. नरेश सिंह सिकरवार ने कहा है कि जनगणना ड्यूटी, 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस तथा अन्य तकनीकी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों में गहरी निराशा और असंतोष व्याप्त है। इसलिए शासन द्वारा स्थानांतरण नीति में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। डॉ. सिकरवार ने कहा कि प्रदेश के अनेक शिक्षक वर्षों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था उनके अधिकारों को सीमित कर रही है। विशेष रूप से जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को स्थानांतरण से वंचित करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने शासन के निर्देश पर यह दायित्व निभाया है। किसी शासकीय कार्य के कारण शिक्षकों के वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं शिक्षक हितैषी बनाते हुए सभी शिक्षकों के लिए आवेदन का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

एसपी ने सुनी समस्याएं, दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों का निराकरण करने एवं समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है।

इसी क्रम में जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीना (भा.पु.से.) द्वारा आज दिनांक 23.06.2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना में जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए 35 से अधिक आवेदकों द्वारा अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त शिकायतों में पारिवारिक विवाद, महिला संबंधी शिकायतें, जमीनी विवाद, आपसी विवाद, संपत्ति संबंधी शिकायतें एवं अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायतें शामिल रही।

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर, नगर पुलिस अधीक्षक मुरैना श्रीमती दीपाली चन्दौरिया, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) विजय सिंह भदौरिया, निरीक्षक नेहा शर्मा थाना प्रभारी महिला थाना, निरीक्षक डिम्पल मौर्य प्रभारी महिला सुरक्षा शाखा, सूबेदार (अ) जय कुमार अरोरा एवं सउनि(अ) अभिषेक राजौरिया सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गुम हुए 15 वर्षीय बालक को डायल-112 ने परिजनों के सुपुर्द किया

मुरैना, 23 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में आमजन की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु डायल - 112 सेवा लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। थाना माताबसैया क्षेत्र के अंतर्गत खैरा गांव से एक 15 वर्षीय बालक के गुम हो गया है, पुलिस सहायता की आवश्यकता है, उक्त सूचना सिमय 07:09 बजे राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल - 112 भोपाल में प्राप्त हुई। सूचना की प्राप्ति पर माताबसैया थाना क्षेत्र में तैनात एफआरव्ही वाहन तत्काल को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल - 112 स्टाफ आरक्षक दीपक राजपूत एवं पायलेट भगवान सिंह ने तत्काल मौके पर पहुँचकर परिजन से किशोर के सम्बन्ध में जानकारी और फोटो लेकर आस-पास के क्षेत्रों में तलाश करने पर किशोर की जानकारी खवरोली गाँव में मिली।

450 से अधिक व्यक्तियों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

नवभारत न्यूज

मुरैना, 23 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त

पुलिस-प्रशासन द्वारा अवैध रेत परिवहन, उत्खनन, भण्डारण के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को किया चिन्हांकित

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल डावर एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अवैध रेत के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर सतत् निगरानी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इसी क्रम में माह जून 2026 में जिलेभर के विभिन्न थानों की पुलिस एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में पहुंचकर अवैध रेत परिवहन / उत्खनन/भंडारण संबंधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 525 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिनमें से 114 व्यक्तियों को धारा 126,135 (3) बीएनएसएस अथवा धारा 129 बीएनएसएस के अंतर्गत अंतरिम बाउण्ड ओवर एवं 321 व्यक्तियों को संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंतिम बाउण्ड ओवर कराया गया है। साथ ही, अवैध रेत के कारोबार में लिप्त कुल 22 ऐसे आदतन अपराधी जिनके विरूद्ध अवैध रेत परिवहन, उत्खनन, भंडारण संबंधी अपराध पूर्व से दर्ज हैं, उनके विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिलाबदर की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की ओर प्रेषित किए गए, जिनमें से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कुल 19 ऐसे आदतन अपराधी जिनके विरूद्ध अवैध रेत परिवहन / उत्खनन / भंडारण से संबंधित अपराध पंजीबद्ध है, उनके विरूद्ध जिलाबदर का आदेश पारित करते हुए जिला मुरैना एवं निकटवर्ती 04 जिलों- ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर एवं भिण्ड की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने हेतु आदेशित किया गया है। मुरैना पुलिस-प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण जैसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर अथवा ऐसे असामाजिक तत्व जो लोक शांति भंग करने अथवा शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।